

आदेश संख्या/जीएसटी -2017-18/

१० /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०
(जीएसटी अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक: 21, नवम्बर, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ०प्र० अधि० 1 सन 2017) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं कमिश्नर, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 63 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (5) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-5 में किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा अपनी विवरणी भरने के मामले में जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017 और अक्टूबर, 2017 मास के लिए समय सीमा को 11 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ाता हूँ।


(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश